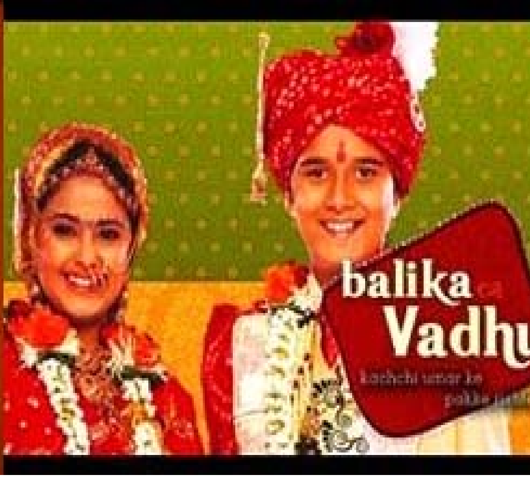

‘‘बालविवाह’’

एक सामाजिक अभिशाप, एक राजनैतिक सवाल

विकास संवाद

ई-७/२२६, शाहपुरा, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

vikassamvad@gmail.com, www.mediaforrights.org

0755- 4252789

---

१. बाल विवाह : एक सामाजिक अभिशाप,एक राजनैतिक सवाल — २

२. बाल विवाह के दुष्परिणाम — ४

३. बाल विवाह में कहां है प्रदेश — ५

४. क्या कहता है कानन — ७

५. कुछ सवाल — १०

६. बाल विवाह रोकने की पहल — ११

....

१. बाल विवाह[1]

एक सामाजिक अभिशाप, एक राजनैतिक सवाल

हाल ही में बैतूल जिले में वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी योजना ''मुख्यमंत्री कन्यादान योजना'' में दो आदिवासी बालिकाओं का बालविवाह सम्पन्न कराया गया। सरकारी स्तर पर यह चूक कैसे हुई, इसकी जांच के आदेश दे दिये गये हैं । बेहतर कानून बन जाने के बाद भी बालविवाह बदस्तूर जारी हैं। बालविवाह, बच्चों के सभी बालअधिकारों का उल्लंघन करता है । यह बच्चे के शिक्षा, स्वास्थ्य, सर्वांगीण विकास, सहभागिता और जीवन के अधिकार को चुनौती देता है । दरसअसल बालविवाह जितना सामाजिक अभिशाप है, उतना ही एक राजनीतिक सवाल बनकर उभरा है। राजनीतिक दलों के नुमांईदे और चुने हुये जनप्रतिनिधि भी इन विवाह समारोहों में उपस्थित हाते हैं लेकिन अपने वोट बैंक के चक्कर में कोई भी इस कुप्रथा पर बात करने को राजी नहीं है।

यद्यपि बाल विवाह काफी सदियों से चली आ रही एक कुरीति है जिससे भारत देश वर्तमान में भी अछूता नहीं है। यदि पौराणिक काल में देखा जाये तो बाल विवाह की प्रथा तब नहीं थी। पुराणों में स्वयंवर, गंधर्व विवाह, असुर विवाह आदि का भी उल्लेख तो मिलता है लेकिन बाल विवाह का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। बाल विवाह तो देन है मध्ययुग की, जब कि बालिकाओं को आतताईयों की कुदृष्टि से बचाने के लिये अभिभावक उन्हें विकसित होने के पूर्व ही विवाह के बंधन में बांधने लगे। इसी अवधि में व इसी कारण से पर्दाप्रथा का भी प्रादुर्भाव हुआ। इस मध्ययुग में जब बाल विवाह प्रचलन में आया तब से अब तक कई विवाह बच्चों को गोद में लेकर, तो कई झूलों में ही व कुछ विवाह तो माता पिता द्वारा बच्चों का लिंग जाने बिना प्रत्याशा में गर्भावस्था में ही तय कर दिये जाने की जानकारी भी प्राप्त होती है।

आखिर क्यों किया जाता है बालविवाह

बालविवाह का सीधा संबंध बालक-बालिका पर पर असमय जिम्मेदारी लादने से शुरु होता है और बाद में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों पर जा ठहरता है। बालविवाह बच्चों को उनके बचपन से भी वंचित कर देता हैं । आखिर क्यों किये जाते हैं बाल विवाह । बालविवाह के पक्षधर इस संबंध में तर्क देते हैं कि

- बड़ी होने पर लड़की की सुरक्षा कौन करेगा !!

मध्यप्रदेश बच्चों और महिलाओं पर होने वाले अपराधों में है अव्वल

प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा का सवाल एक बड़ा सवाल है । राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के अनुसार ज्ञात हो कि प्रदेश, देश में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में सबसे अव्वल नंबर पर है। प्रदेश, देश में बाल अपराधों में नंबर एक पर है।

दलित और आदिवासी महिलाओं पर बलात्कार व अन्य तरह की प्रताड़नाओं में भी मध्यप्रदेश नंबर एक पर है। अतएव आंकड़े बताते हैं कि केवल इसे सामाजिक कुरीति की वजह से ही नहीं बल्कि बच्चों की सुरक्षा से जोड़कर भी देखा जाना चा है, जो कि वाजिब कारण है। बच्चों की सुरक्षा के मामले में तंत्र पूरी तरह से फेल नजर आता है, और जो बालविवाह के बीजों को पनपने में मदद करता है। **स्त्रोत : एनसीआरबी २००८**

[1] यह इंफोपैक विकास संवाद की अपरा विजयवर्गीय व प्रशान्त दुबे द्वारा तैयार किया गया है।

❖ बालिकाओं की सुरक्षा एक गंभीर मामला है।

❖ कम उम्र में चूंकि लड़का भी कम पढ़ा लिखा होगा तो वर पक्ष की दहेज संबंधी मांग भी कम रहेगी।

❖ छोटी उम्र में चयन के विकल्प (वर तथा परिवार) खुले होते हैं।

❖ लड़की तो बोझ होती है जितनी जल्दी यह जिम्मेदारी खत्म हो सके उतना ही अच्छा है।

❖ यदि बड़ी होकर लड़की ने कोई गलत कदम उठा लिया (स्वयं वर ढूंढ लिया) तो समाज को कौन समझायेगा ?

❖ विवाह चाहे कम उम्र में करते हैं पर बिदा तो लड़की को समझदार होने के बाद ही करेंगें।

❖ लड़की दूसरे घर में जल्दी सामंजस्यता बिठा लेती है।

इन सब कारणों से बाल विवाह हमारे समाज में अभी तक किये जाते रहे हैं व इन तर्कों के आगे इन बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकास कहीं गौण हो जाता है। दरअसल में यह समस्या एक जटिल रुप धारण किये हुये हैं । गरीबी और अशिक्षा भी इसका एक प्रमुख कारण है। इस कुरीति के पीछे कई और कुरीतियां भी हैं जैसे दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के कारण भी लोग जल्दी शादी कर देते हैं क्योंकि इस समय तक वर की अपनी इच्छायें सामने नहीं आती हैं और शादी सस्ते में निपट जाती है।

कई हैं प्रावधान....

भारत द्वारा स्वीकृत अंर्तराष्ट्रीय संधियों और राष्ट्रीय कानूनों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना और अनके बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।

भारत सरकार ने कई अंतरराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किये हैं जिसमें उन्हें शोषण से बचाने व उन्हें सम्मानजनक अधिकार दिलाने हेतु प्रावधान हैं। इन संधियों में प्रमुख हैं ।संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता (यूएनसीआरसी), महिला विरोधी भेदभाव उन्मूलन समझौता (सीडॉ) और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार प्रसविदा (ईएससीआर) प्रमुख है।

क्यों होता है अक्षय तृतीया/वसंत पंचमी को ही बाल विवाह !!!

इतने कानून व नियम बनने के उपरांत भी बड़ी संख्या में अक्षय तृतीया व बसंत पंचमी के दिन बाल विवाह देखने को मिलते है। दरअसल इस दिन कानून बगैर मुहुर्त के शादियां हाती हैं। इसलिये इस दिन सामूहिक विवाह अधिक होते हैं। इन सामूहिक विवाहों के बीच बालविवाह भी हो जाते हैं।

पांच वर्षो में ३०,००० माताओं और ६ लाख शिशुओं की मृत्यु

मातृ मृत्यु की तकनीकी परिभाषा यह है कि गर्भधारण से प्रसव के 42 दिन बाद होने वाली मृत्यु मातृ मृत्यु कहलाती है। प्रदेश का मातृमृत्यु अनुपात 335 प्रति लाख है। इसके अनुसार विगत् पांच वर्षो में प्रदेश में 30,000 माताओं की मृत्यु हुई है। प्रदेश में 56 प्रतिशत महिलायें खून की कमी का शिकार है । इसके पीछे एक बड़ा कारण बालविवाह भी है। इसी प्रकार प्रदेश की शिशु मृत्यु दर 70 प्रति हजार जीवित जन्म है । विगत् पांच वर्षो में प्रदेश ने 6 लाख शिशुओं की मौत हुई है।

स्त्रोत : स्वास्थ्य विभाग वेबसाईट व एसआरएस २००८ व वि.सं. विश्लेषण

२. बाल विवाह के दुष्परिणाम

कम उम्र में शादी होने से बच्चे के न सिर्फ सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन होता है वरन् अच्छा स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा पाने का अधिकार का भी हनन होता है। इसके अलावा जो दिक्कतें उन्हें आती हैं उनमें प्रमुख है।

बाल विवाह के कारण बालिकायें कम उम्र में असुरक्षित यौन चक्र में सम्मिलित हो जाती है क्योंकि यह तो सिर्फ शादी तक ही कहा जाता है कि शादी जल्दी कर देते हैं बिदा बाद में करेंगें या करवायेंगें। परन्तु शादी के कुछ समय बाद ही लड़की के परिवार पर जोर दिया जाने लगता है कि लड़की की बिदा जल्दी की जायें । अतः जिस तरह कच्ची मटकी में पानी ठहर नहीं पाता है व न ही मटकी ही साबुत रह पाती है

उसी तरह कम उम्र में यौन संबंधों के तात्पर्य है अपरिपक्व शरीर में बालिका द्वारा गर्भधारण करना। परिणामतः भ्रूण का पूर्ण रूप से विकसित न हो पाना न ही माता के शरीर का विकसित हो पाना।

- गर्भपात
- कम वजन के बच्चे का जन्म
- बच्चों में कुपोषण
- माता में कुपोषण
- खून की कमी होना
- मातृ मृत्यु
- माता में प्रजनन मार्ग संक्रमण/यौन संचरित बीमारियॉ/एचआईवी संक्रमण की संभावना में वृद्धि होना आदि।

अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि 15 वर्ष की उम्र में माँ बनने से मातृ मृत्यु की संभावना 20 वर्ष की उम्र में माँ बनने से पांच गुना अधिक होती है।

२.१) १६ प्रतिशत माँयें बनीं गर्भवती

बाल विवाह के पक्षधरों द्वारा एक तर्क यह भी दिया जाता है कि भले ही विवाह कम उम्र में किया जाता है परन्तु पति पत्नी साथ साथ रहना तो बालिग होने के बाद शुरू करते हैं इसका खण्डन भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण III करता है।

आँकड़े बताते हैं कि भारत में 15-19 वर्ष की महिलाओं में 16 प्रतिशत् या तो मॉ बन चुकी थी या पहली बार गर्भवती थी।

प्रदेश में ६० फीसदी बच्चे कुपोषित

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के तृतीय चक्र की मानें तो प्रदेश में 60 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं । इनमें से भी 12.06 बच्चे गंभीर रुप से कुपोषण का शिकार हैं। यदि आंकड़ेवारी में देखें तो लगभग 67 लाख बच्चे कुपोषित हैं और उनमें से भी 13 लाख बच्चे अतिकुपोषित हैं।

प्रदेश का महिला एवं बाल विकास विभाग प्रदेश में 43 फीसदी कुपोषण बताता है। और गंभीर कुपोषण .47 बताता है।दोनों ही आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि प्रदेश में हर दूसरा बच्चा कुपोषित है।

इनमें सर्वाधिक भयावह स्थिति झारखण्ड, पश्चिमी बंगाल व बिहार की है जहाँ क्रमश: 27.5, 25 व 25 प्रतिशत् महिलाये 15-19 वर्ष के मध्य माँ बन चुकी थी या बनने जा रही थी। जबकि इससे विपरीत स्थिति हिमाचल प्रदेश (12.3 प्रतिशत्) गोवा (12.1 प्रतिशत्)व जम्मू एवं कश्मीर (4.2 प्रतिशत्) पाई गई।

यह माना जाता है कि किसी भी कुरीति को दूर करने में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है परन्तु ऑकड़ों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि केरल राज्य, जहॉ शिक्षा का स्तर सर्वोच्च है, में भी 18 वर्ष से कम उम्र में 15.4 प्रतिशत महिलाओं की शादी हो चुकी थी व 5.8 प्रतिशत महिलाये 15-19 वर्ष के मध्य या तो मॉ बन चुकी थी या वे मॉ बनने जा रही थी।

३. बाल विवाह में कहां है प्रदेश ???

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के तृतीय चक्र के आंकड़ों (2005-06) की मानें तो हम पाते हैं कि भारत में 47.4: महिलाओं का विवाह 18 साल के पूर्व हो गया था। प्रदेश के स्तर पर जायें तो बाल विवाह का सर्वाधिक प्रचलन बिहार (69.0 प्रतिशत), राजस्थान (65.2 प्रतिशत) तथा झारखण्ड (63.2 प्रतिशत) में पाया गया। मध्यप्रदेश बालविवाह के संदर्भ में 57.3 प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर है। (देखें चित्र) बालविवाह का सबसे कम प्रचलन गोवा (12.1 प्रतिशत) हिमाचल प्रदेश (12.3 प्रतिशत) व मणिपुर में (12.9 प्रतिशत)में पाया गया।

भारत में कुछ उच्च एवं निम्न बाल विवाह दर वाले राज्यो की स्थिति (प्रतिशत में)[२]

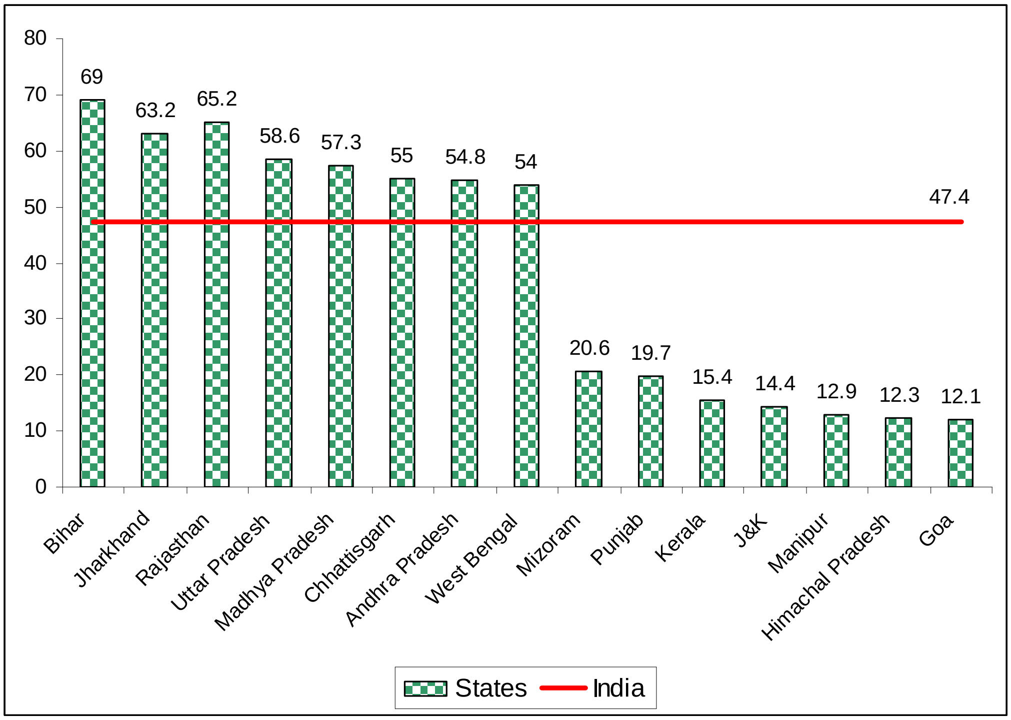

2 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण - तृतीय चक्र

जिला स्तरीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2007-08) के हवाले से प्रदेश को देखें तो ज्ञात होता है कि प्रदेश के 3 जिलो (बड़वानी, शाजापुर व श्योपुर) में आधी से अधिक महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की उम्र के पूर्व हो चुका था। यदि ग्रामीण परिवेश को देखें तो 6 जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक व 8 जिलों में 40-50 प्रतिशत के मध्य महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की उम्र के पूर्व हो चुका था। (देखें चित्र)

जाहिर है कि यदि इतनी जल्दी लड़कियों का विवाह होगा तो बहुत कम उम्र में वे गर्भवती हो जाती हैं। ऑकड़े यह भी दर्शाते हैं कि 11 जिलों में कुल जन्मे बच्चों में से 15-25 प्रतिशत बच्चों के जन्म के समय माता की उम्र 15-19 वर्ष के मध्य थी।

मध्य प्रदेश में १८ वर्ष से कम उम्र में महिला के विवाह की स्थिति[3]

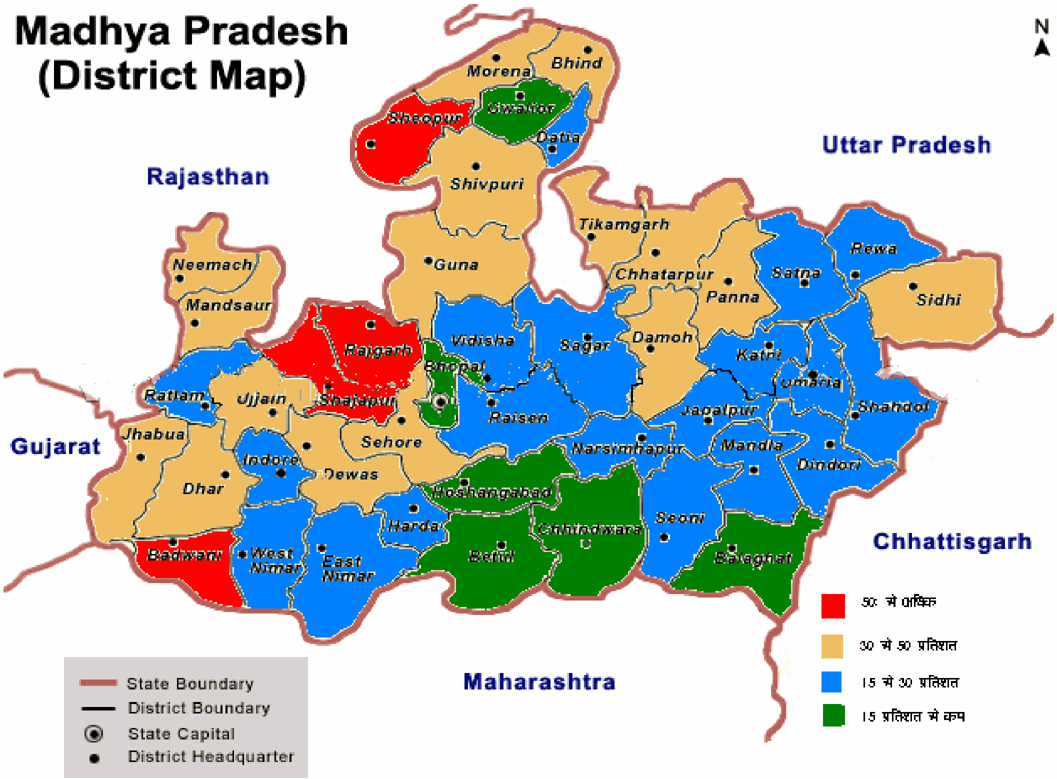

इसका सीधा तात्पर्य है कि यदि इस कुरीति को दूर करना है या बच्चों के सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य व शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना है । शिक्षा से अधिक जोर अभिभावकों को जागरूक बनाने पर देना होगा व कड़े कानून बनाकर उनका कड़ाई से पालन करवाना होगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय के नेशनल प्लॉन ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन,२००५ के अनुसार २०१० तक बालविवाह को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य तय किया गया है ।

[3] जिला स्तरीय पारिवारिक सर्वेक्षण 3 (DLHS) के ऑकड़ों पर आधारित

४. क्या कहता है कानून

बालविवाह को रोकने के प्रयास काफी लंबे समय से किये जा रहे हैं। इस हेतु वर्ष 1929 में 'बाल विवाह अंकुश अधिनियम' भी बनाया गया जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट में कई खामियां र्थी। इस कानून के अनुसार 15 वर्ष से कम उम्र की लड़की व 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों का विवाह गैरकानूनी करार दिया गया। वर्ष 1978 में इस कानून में संशोधन करते हुये विवाह की आयु 3 वर्ष बढ़ा दी गई, अर्थात्, लड़की की उम्र 18 वर्ष व लड़कों की उम्र 21 वर्ष के पूर्व विवाह न किया जाये। इसके बावजूद भी अभी बाल विवाह प्रथा जारी है।

इन कमियों को दूर करने के लिये भारत सरकार द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, (पीसीएमए) 2006 को 1 जनवरी 2007 से अधिसूचित किया गया। इसका उद्देश्य, बाल विवाह प्रथा की प्रभावी रोकथाम के लिये पहले कानून की विफलता को दूर करना व बाल विवाह की रोकथाम के लिये एक समग्र व्यवस्था विकसित करना है। यह कानून 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया है। (जम्मू एवं कश्मीर तथा पांडिचेरी को छोड़कर पूरे देश में लागू)

इस कानून के **बुनियादी सिद्धांत** है–

- किसी बच्चे का विवाह करना अपराध है।[4]
- 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की व 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का बच्चा या नाबालिग होता है।[5]

इस कानून के महत्वपूर्ण प्रावधान हैं

४.१ बाल विवाह - एक अपराध

- बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। इसके लिये दो साल की कठोर सजा या एक लाख रूपये तक जुर्माना किया जा सकता है
- बाल विवाह को रोकने के लिये अदालत निषेधाज्ञा जारी कर सकती है।[6]
- इसके तहत उल्लिखित अपराध संज्ञेय व गैर जमानती है।[7]

४.२ बाल विवाह में मान्य दोषी

- ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, बढ़ावा देता है या उसमें सहायता देता है।[8]
- नाबालिग लड़की से शादी करने वाला 18 साल से अधिक उम्र का पुरूष।[9]

और भी हैं कानून

- दहेज रोकथाम अधिनियम – 1961
- अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा का कानून, 2009
- 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007 –12) में भी विवाह का अनिवार्य पंजीयन एवं विवाह के समय आयु का सत्यापन अनिवार्य किये जाने पर जोर दिया गया है।

---

[4] पीसीएमए 2006 का अनुच्छेद 10, 11 एवं 12
[5] पीसीएमए 2006 का अनुच्छेद 2 (ए)
[6] पीसीएमए 2006 का अनुच्छेद 13
[7] पीसीएमए 2006 का अनुच्छेद 15
[8] पीसीएमए 2006 का अनुच्छेद 10
[9] पीसीएमए 2006 का अनुच्छेद 9

- ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास बच्चे की जिम्मेदारी हैं जैसे
    - o माता पिता या अभिभावक
    - o पादरी/पुजारी/मौलवी
    - o दोनो तरफ के रिश्तेदार/परिचित
    - o दोनो पक्षों के पड़ोसी
    - o समुदाय के ऐसे मुखिया जो इन विवाहों को संरक्षण देते है
    - o मैरिज ब्यूरो/बिचौलिये
    - o मानव व्यापारी
    - o दूल्हा अगर 18 साल से अधिक उम्र का हो और लड़की नाबालिग हो।
    - o केटरर व अन्य सेवा प्रदाता
    - o ऐसे संगठन या उसके सदस्य जो जानते हुए भी इसे प्रोत्साहित करते हैं, या उसमें हिस्सा लेते हैं।[10]

४.३ बाल विवाह का शून्यीकरण

- बाल विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है।[11]
- जिस बच्चे का विवाह किया गया है वह बालिग होने के दो वर्ष के अंदर स्वयं के विवाह को अकृत व शून्य घोषित करने की मांग कर सकता/सकती है।[12]
- बाल विवाह को अकृत व शून्य घोषित करने के संबंध में आवेदन लड़का या लड़की ही दे सकते हैं परन्तु यदि वह नाबालिग है तो उसकी ओर से उसके अभिभावक/दोस्त/परिचित (18 वर्ष से अधिक उम्र का) आवेदन बाल विवाह निषेध अधिकारी के समक्ष याचिका दायर कर सकते हैं।[13]
- ऐसे विवाह को जिला न्यायालय का मुख्य दीवानी न्यायालय अकृत घोषित कर सकते है। राज्य सरकार द्वारा चिन्हित किसी अन्य दीवानी न्यायालय को भी जिला न्यायालय की इस श्रेणी में रखा जा सकता है।[14]
- कुछ खास परिस्थितियों में अदालतें भी बाल विवाह को अकृत व शून्य घोषित कर सकती हैं जैसे:

    - o जहॉ बाल विवाह को रोकने के लिये अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा के बावजूद बाल विवाह किया गया हो।[15]
    - o जहॉ बच्चे को फुसलाकर, जबरन या धोखे से उसके वैधानिक अभिभावकों से दूर कर दिया हों। (अनुच्छेद 12 (ए) एवं (बी), पीसीएमए 2006)
    - o जब बच्चे को विवाह के लिये या विवाह के जरिये बेचा या खरीदा गया हो। (अनुच्छेद 12 (सी), पीसीएमए 2006)

---

[10] पीसीएमए 2006 का अनुच्छेद 11
[11] पीसीएमए 2006 का अनुच्छेद 3 (1)
[12] पीसीएमए 2006 का अनुच्छेद 3 (3)
[13] पीसीएमए 2006 का अनुच्छेद 3 (2)
[14] पीसीएमए 2006 का अनुच्छेद 3 एवं 2 (ई)
[15] पीसीएमए 2006 का अनुच्छेद 14

४.४ गुजारा भत्ता व कस्टडी

- बाल विवाह निषेध अधिकारी को बाल विवाह के पीड़ित/प्रभावित बच्चों को चिकित्सकीय एवं कानूनी सहायता सहित हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का अधिकार दिया गया है। (अनुच्छेद 16 (3) (जी), पीसीएमए 2006)
- यदि पति वयस्क है तो उसे अल्पवयस्क बालिका वधु के पुनर्विवाह तक उसके गुजारे भत्ते की जिम्मेदारी लेना होगी। यदि पति भी नाबालिग है तो उसके अभिभावक यह जिम्मेदारी लेंगे। (अनुच्छेद 4 (1), पीसीएमए 2006)
- बाल विवाह से जन्मे बच्चों को कस्टडी व गुजारा भत्ता का अधिकार होता है व बच्चे भी जायज माने जायेंगें। भले ही माता पिता का विवाह अकृत व शून्य घोषित किया जा चुका हो। (अनुच्छेद 5 एवं 6, पीसीएमए 2006)

४.५ कानून में चिन्हित विभिन्न संबंधित पक्ष

- बाल विवाह निषेध अधिकारी
- पुलिस
- जिला मजिस्ट्रेट
- पंचायत सदस्य
- शिक्षक आदि।

५. कुछ सवाल

1. क्या मध्यप्रदेश में जनसामान्य को यह मालूम है कि बाल विवाह निषेध अधिकारी कौन है ? यदि नही तो यह कैसे सुनिश्चित होगा कि बालविवाह के संबंध में किसको सूचना दी जाये।
2. बालविवाह रोकने की प्रक्रिया मुख्यत: 5 विभागों के बीच समन्वित होती है, लेकिन हर बार महिला एवं बाल विकास विभाग ही पहल करता दिखाई देता है क्यों ?
3. कानून का क्रियान्वयन कभी भी सुनियिचत नहीं हाता है।
4. विशेष किशोर पुलिस ईकाई की जमीनी स्थिति क्या है ?
5. भारत ने एक और तो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं दूसरी और बालअधिकारों का इस तरह से उल्लंघन हो रहा है !!
6. अक्सर मंत्री /विधायकों के सानिध्य में बालविवाह होते देखे जाते रहे हैं ? क्या जनप्रतिनिधियों की कोई जवाबदेहिता तय नहीं की जानी चाहिये ?

7. मीडिया भी बालविवाह को लेकर अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करता है ?
8. बालविवाह के संबंध में अक्सर निचले तबके के कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय होती है? क्या ऐसी स्थिति में क्या बड़े स्तर पर बैठे अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिये ।
9. बालविवाह अधिनियम की धारा 13 के अंर्तगत् कितने संवोदनशील क्षेत्रों को आखातीज या वसंत पंचमी के पहले ''सघन अनिवार्यता'' के क्षेत्र घोषित किया जाता है ? और यदि हां तो फिर वहां बालविवाह कैसे संपन्न हो जाते हैं।
10. क्या पंचायत सदस्यों एंव जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण बाल विवाह को लेकर होता है ? जिससे उनमें बालविवाह के समस्त पहलुओं को समग्रता से देख सकने की दृष्टि निर्माण हो सके और फिर वे उस पर पहल कर सकें ।
11. क्या बालविवाह के संवेदनशील ईलाकों के पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बालविवाह संबंधी तत्व होता है ? यदि नही ंतो क्यों ?
12. राजस्थान की भंवरी देवी[16] व मध्य प्रदेश की शकुंतला वर्मा[17] जैसी घटनायें बाल विवाह रोकने का प्रयास करने वाले अधिकारियों को हतोत्साहित करती है। अतः आवश्यक है कि इन अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की जाये। क्या सुरक्षा के प्र्याप्त इंतजामात उपलब्ध कराती है सरकार ?

[16] बाल विवाह रूकवाने के प्रयास में जिसका बलात्कार किया गया।
[17] बाल विवाह रूकवाने के प्रयास में जिसके दोनो हाथ काटे गये थे।

6. बाल विवाह रोके जाने की पहल[18]

सतना जिले के विकासखण्ड नागोद के रामस्वरूप कुम्हार ने अपनी नाबालिग 16 वर्षीय पुत्री का विवाह ग्राम चकदही उचेहरा में तय किया गया था। ग्रामवासियों को सूचना मिलते ही उन्होंने रामस्वरूप को समझाने का प्रयास किया तथा बाल विवाह न करने की सलाह दी। लेकिन रामस्वरूप नहीं माना इस पर ग्रामवासियों ने तहसीलदार नागौद को सूचना दी। तहसीलदार राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं पर्यवेक्षक महिला बाल विकास को लेकर ग्राम छींदा पहुँचे । प्रशासनिक दल ने श्री रामस्वरूप व उसके परिवार को समझाया। रामस्वरूप ने कहा कि उसकी लडकी बालिग है लेकिन पढी लिखी नहीं होने से जन्म प्रमाणित नहीं हो सकती। इस पर ग्रम के शिक्षक को तलब किया गया पर शिक्षक नहीं मिला। उधर लडकी के नाना स्थिति को समझ कर चुपके से ग्राम चकदही रवाना हो गया और लडके वालों को इसकी सूचना दी। पुलिस और प्रशासन अमले की खबर सुनते ही लडके वालों के हाथ-पांव फूल गये लेकिन लडके के चाचा महंगीलाल ने दुस्साहस दिखाया और छीदा पहुंच गया। उसने अपने कुतर्क प्रशासनिक अमले के समक्ष प्रस्तुत किये और विवाह की जिद करने लगा, तब पुलिस बल को अपना काम करना पडा और महंगीलाल को थाने पहुंचाया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी परियोजना अधिकारी और शिक्षक ग्राम छींदा पहुचे और उन्होंने पुराना रिकार्ड देख कर लडकी की उम्र की पुष्टि कर दी। लडकी नाबालिग थी। इसकी खबर चकदही पहुंची और बारात छींदा आने के पहले ही रोक दी गई, इस प्रकार से एक और बाल विवाह प्रशासनिक दल द्वारा रोका गया।

इसी प्रकार सागर जिले के बंड़ा ब्लॉक के पटारी गॉव में श्री भगवान दास यादव रहते हैं। घर में गरीबी का यह आलम है की खाने के लिए पर्याप्त राशन नहीं है। उस पर बड़ा पुत्र बार-बार बीमार हो रहा था, परेशानियों के दौर में एक दिन उनके पड़ोस में रहने वाले पंडित ने यह कह दिया कि यदि वह अपनी 12 वर्षीय बेटी का विवाह कर देंगे तो उनका बड़ा पुत्र बार-बार बीमार नहीं होगा ओर उनका राशन कार्ड भी बन जावेगा। बस फिर क्या था भगवान दास ने अपनी नाबालिग बेटी सविता के बाल विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। बाल विवाह की तारीख भी तय हो गई 26 अप्रैल 2007।

इस बात की खबर महिला एवं बाल विकास विभाग के अमले को हुई। सूचना मिलते ही एस.डी.एम. तथा परियोजना अधिकारी की संयुक्त टीम पटारी गॉव पहुंची। उन्होंने भगवान दास को समझाईश व उसे बाल विवाह के दुष्परिणाम और कानूनी सजा के बारे में बताया गया। भगवान दास ने भी अपनी परेशानी को सामने रखा। एस. डी.एम. ने मौके पर ही भगवान दास के परिवार के सदस्यों के नाम गरीबी रेखा में जोड़ते हुए परमिट जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही दीन-दयाल अंत्योदय योजना के तहत् उनके पुत्र का इलाज का आश्वासन दिया गया। गॉव में गरीबी को देखते हुए तालाब की खुदाई का कार्य भी प्रारम्भ कराने का आश्वासन दिया। लड़की की मॉ कृष्णा रानी तब खुशी से झूम उठी, जब मौके पर उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष ने लड़की की पूरी पढ़ाई का जिम्मा स्वयं उठाने का निर्णय लिया। अब उसे बंड़ा के आवासीय ब्रिज कोर्स में भर्ती करवाया गया। शासन ने निर्णय लिया कि उसे पहले 5 वीं कक्षा की परीक्षा दिलवायी जाएगी फिर आगे की पढ़ाई भी जारी रखने में मदद की जाएगी। प्रशासन की पहल ने न सिर्फ उसका बाल विवाह रूका बल्कि भगवान दास के परिवार की भी हर स्तर पर मदद हुई।

---

[18] यह प्रकरण महिला एवं बाल विकास विभाब,भोपाल द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं ।